आयोजनागत

संख्या–785 / XXIV(8) / 2007–15 / 2007

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिक महाविद्यालय
पन्तनगर।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून दिनांक 19 सितम्बर,2007

विषयः– विश्वेसेरेय्या भवन छात्रावास के शौचालय एवं स्थानागार का सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सीटीई / एओ (बी–5 / प्लान / 119 दिनांक 04.07.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर में विश्वेसेरेय्या भवन छात्रावास के शौचालय एवं स्थानागार का सुदृढ़ीकरण हेतु गठित आगणन के सापेक्ष रू0 27.00 लाख (रूपये सत्ताईस लाख मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति देते हुए इस वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि रू0 27.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति एव व्यय करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद की राशि का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– जी.पी. डब्ल्यू फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। सम्बन्धित कोषागार वीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

12– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2203–तकनीकी शिक्षा–00–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-आयोजनागत–03–पन्त कालेज आफ टैक्नोलाजी पन्तनगर को सहायक अनुदान–00 के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–311(P)/XXVII(3)/2007 दिनांक 17.09.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
4. आयुक्त कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।